पत्रांक 442 /आयु0क0उत्तरा0 / वाणि0कर / विधि–अनुभाग / 2016–17 / दे0दून

कार्यालय आयुक्त कर,उत्तराखण्ड

(विधि–अनुभाग)

दिनांकः:देहरादून :28 अप्रैल, 2016

समस्त डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर,
समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर,
एवं समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तराखण्ड।

विषयः– वर्ष 2013–14 व वर्ष 2014–15 में दाखिल वार्षिक कर निर्धारण विवरणियों के निस्तारण के संबंध में।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 25 के अन्तर्गत प्रत्येक पंजीकृत ब्यौहारी को सावधिक विवरणियों के अतिरिक्त कर निर्धारण के लिए सभी तात्विक विशिष्टियों से पूर्ण वार्षिक विवरणियां भी दाखिल करनी होती है। प्रस्तुत की गयी वार्षिक विवरणियों विहित प्रारूप में विहित समय के भीतर विहित सूचनाओं, विशिष्टियों,उपबन्धों व समर्थक दस्तावेजों व धारा 25(2) के अन्तर्गत खण्ड (क) से खण्ड (ज) में निहित प्राविधानों के अनुसार दाखिल की गयी हो तो धारा 25(3) के अन्तर्गत दी गयी व्यवस्था के अनुसार स्वतः कर निर्धारित (डीम्ड) मान लिया जाएगा। वर्ष 2013–14 के लिए स्वतः कर–निर्धारण हेतु दाखिल वार्षिक विवरणी की अन्तिम तिथि 31.12.2014 है परन्तु यदि व्यापारी द्वारा विलम्ब शुल्क जमा कर दिया गया है तो दिनांक 30.06.2015 तक दाखिल वार्षिक विवरणी को भी स्वतः कर निर्धारित मान ली जाएगी। वर्ष 2014–15 के लिए स्वतः निर्धारण हेतु वार्षिक विवरणी दाखिल करने की अन्तिम तिथि बिना विलम्ब शुल्क के 30.06.2016 है। उक्त तिथियों तक दाखिल उक्त वर्षों की वार्षिक विवरणियों के निस्तारण के लिये निम्न निर्देश दिए जाते हैः–

1–दाखिल वार्षिक विवरणियों हेतु प्रत्येक कर निर्धारण कार्यालय में वर्ष 2013–14 व वर्ष 2014–15 के लिए अलग–अलग दो रजिस्टर रखें जायेंगे।

2– प्रत्येक वर्ष के लिए दाखिल समस्त वार्षिक विवरणियों को इस रजिस्टर में रसीद कम संख्या / दिनांक वार बढ़ते कम में निम्न प्रारूपानुसार सूचीबद्ध किया जायेगाः–

| क0सं0 | रसीद संख्या | तिथि | व्यापारी का नाम | टिन | सकल टर्न ओवर | प्रान्तीय / केन्द्रीय वाद | किस अधिकारी के स्तर का है। | | | स्वतः योग्य | | यदि स्वतः योग्य नहीं है तो, पायी गयी कमियों का संक्षिप्त वर्णन | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | AC | CTO | DC | 25(4) हेतु चयनित | स्वतः निर्धारित | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | | | 9 | 10 | 11 | 12 |

उक्त प्रस्तुत वादों में कोई डिप्टी कमिश्नर कार्यालय को वाद हो तो उसे तुरंत पत्रावली सहित संबंधित डिप्टी कमिश्नर को प्रेषित करें। यदि डिप्टी कमिश्नर के यहॉ असि0 कमि0 / वा0क0अधि0 स्तर का वाद हो तो उन वादों को सम्बन्धित खण्ड में पत्रावली सहित प्रेषित करें।

3–उक्त रजिस्टर संबंधित कार्यालय में कार्यरत प्राप्ति व प्रेषण लिपिक द्वारा तैयार किया जाएगा, जिसकी जांच संबंधित कार्यालय के प्रशासनिक/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी द्वारा की जाएगी कि किसी व्यापारी द्वारा प्रस्तुत वार्षिक विवरणी का इन्द्राज करने से छूट न गया हो। कॉलम संख्या 9, 10 व 11 संबंधित कर–निर्धारण अधिकारी द्वारा भरे जाएगे तथा शेष कॉलम रजिस्टर तैयार करने वाले लिपिक द्वारा इन्द्राज किया जाएगा। उक्त रजिस्टर के कमांक का उल्लेख वार्षिक विवरणी के प्रथम पृष्ठ पर भी "लाल पैन" से किया जाएगा, जिससे स्पष्ट हो सके कि दाखिल विवरणी सूचीबद्ध कर दी गयी है।

4– खण्ड में कार्यरत असिस्टेन्ट कमि0 व वाणिज्य कर अधिकारी अपने–अपने मौद्रिक सीमा के ब्यौहारियों के वार्षिक विवरणी की जांच करेंगे। यदि कोई वाद स्वतः योग्य नहीं पाया जाता है तो उसक संक्षिप्त ब्यौरा उक्त रजिस्टर के कॉलम 11 में इन्द्राज करेंगे तथा ऐसे वाद का निस्तारण नियमित सुनवाई पर होगा। सुनवाई हेतु भेजे गये प्रथम कम्प्यूटर जनित नोटिस में उन तथ्यों का संक्षिप्त वर्णन करेंगे कि किन कारणों से उनकी वार्षिक विवरणी अपूर्ण है।

5– उक्त दोनों वर्षों के रजिस्टर दिनांक 15.05.2016 तक तैयार किए जायेंगे तथा वर्ष 2014–15 के जो विवरण 15.05.2016 के पश्चात प्राप्त होते है उनको भी रजिस्टर में दैनिक आधार पर इन्द्राज किया जायेगा।

6– वर्ष 2013–14 में दाखिल वार्षिक विवरणियों की जांच दिनांक 30.06.2016 तक कर ली जाय तथा वर्ष 2014–15 की वार्षिक विवरणियों की जांच दिनांक 31.08.2016 तक कर ली जायेगी।

7– उक्त प्रस्तर–2 में तैयार की गयी वर्ष 2013–14 की सूची की एक प्रति दिनांक 20.05.2016 तक व वर्ष 2014–15 की सूची की एक प्रति दिनांक 15.07.2016 तक संबंधित कर–निर्धारण कार्यालय के बाहर चस्पा की जाएगी तथा एक प्रति विभागीय वैबसाइट पर भी उपलब्ध करायी जायेगी, ताकि ऐसे ब्यौहारी जिनके द्वारा वार्षिक विवरणी दाखिल कर दी गयी है, के द्वारा पुष्टि की जा सके कि उनके द्वारा दाखिल वार्षिक विवरणी का इन्द्राज सूची में हो गया है। यदि किसी व्यापारी द्वारा वार्षिक विवरणी दाखिल कर दी गयी है किन्तु उसका इन्द्राज उक्त सूची में नहीं है तो ऐसी स्थिति में व्यापारी द्वारा संबंधित कार्यालय में इस आशय की सूचना प्रमाण सहित दे दी जायगी कि उनके द्वारा वार्षिक विवरणी दाखिल कर दी गयी है। प्रमाण प्राप्त होने पर उक्त रजिस्टर में सूचीबद्ध कर दिया जायेगा।

8– धारा 25(3) के अन्तर्गत जो कर–निर्धारणवाद स्वतः कर निर्धारित समझे गये है उनमें से धारा 25(4) के अन्तर्गत कमिश्नर द्वारा धारा 25(6) तथा धारा 25(7) के अधीन कर निर्धारण के लिए चयनित किए जाने का प्राविधान है, उसके लिए अलग से विज्ञप्ति जारी की जा रही है। चयनित किए गये व्यापारियों के लिये सुनवायी हेतु जो प्रथम कम्प्युटर जनित नोटिस जारी किया जायेगा, उस नोटिस में चयन के कारण का संक्षिप्त उल्लेख भी किया जायेगा।

(विज्ञप्ति - संलग्न)

9–संबंधित ज्वा0कमि0(कार्य0/प्रव0), वाणिज्य कर की यह जिम्मेदारी होगी कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी व्यापारी के वाद को बिना किसी ठोस कारण के डीम्ड की परिधि से बाहर तो नहीं किया गया है। यदि कोई ऐसी स्थिति आती है तो संबंधित कर निर्धारण अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

10–जिन वादों का निस्तारण स्वतः मे कर दिया गया है उसकी सूचना निम्न प्रारूप पर व्यापारी को भी सूचित करेंगे।

सूचना

"आपको सूचित किया जाता है कि रसीद संख्या.....दिनांक .....द्वारा प्रस्तुत वार्षिक विवरणी (प्रान्तीय/केन्द्रीय) स्वतः कर निर्धारण के अन्तर्गत स्वीकार कर ली गयी है"

1–अंतिम स्टॉक रू0.....

2–रिफण्ड योग्य राशि रू0.....

3–अधिक जमा राशि जो अगले वर्ष हेतु कैरिफॉरवर्ड की गयी रू0.....

4–अंतिम शेष फॉर्मों का विवरणः

अधिकारी के हस्ताक्षर
व मोहर तिथि सहित

11– जिन व्यापारियों के डीम्ड कर निर्धारण के रूप में वार्षिक रिटर्न को स्वीकार किया जा चुका है उन वार्षिक रिटर्न पर मोहर लगाकर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाना अनिवार्य किया जाता है ताकि ऐसे प्रत्येक प्रकरण में यह स्पष्ट रहे कि उसमें डीम्ड कर निर्धारण की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। यह मोहर प्रान्तीय तथा केन्द्रीय निस्तारण के परिप्रेक्ष्य में वार्षिक विवरणी पर जैसा भी प्रकरण हो लगा दी जायेगी तथा इस आशय का उल्लेख व्यापारी की संबंधित वर्ष की कर निर्धारण पत्रावली के आदेश फलक पर भी कर दिया जायेगा।

**प्रान्तीय वाद के लिये मोहर का प्रारूप**

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 25(3)के अन्तर्गत रसीद संख्या.....दिनांक.....द्वारा प्रस्तुत वार्षिक कर निर्धारण विवरणी स्वतः कर निर्धारण के अन्तर्गत स्वीकार।

हस्ताक्षर कर निर्धारण अधिकारी

**केन्द्रीय वाद के लिये मोहर का प्रारूप**

केन्द्रीय बिकी कर अधिनियम, 1956 की धारा 9(2) सपठित उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 25(3) के अन्तर्गत रसीद संख्या.....दिनांक.....द्वारा प्रस्तुत वार्षिक कर निर्धारण विवरणी स्वतः कर निर्धारण के अन्तर्गत स्वीकार।

हस्ताक्षर कर निर्धारण अधिकारी

उक्त कार्य की मॉनिटरिंग संबंधित ज्वाइ0कमि0(कार्य0 / प्रव0) द्वारा समय–समय पर की जायेगी तथा पाक्षिक रूप से निम्न प्रारूप पर विवरण मुख्यालय को प्रस्तुत करेंगे।

दाखिल वार्षिक विवरणियों के प्राप्ति व निस्तारण की स्थिति

वर्ष 2013–14

| क0सं0 | कार्यालय का नाम | प्रस्तुत विवरणों की संख्या | स्वतः योग्य नही पाये गये | स्वतः योग्य | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | निस्तारित | धारा 25(4) में विहित |
| | | | | | |

वर्ष 2014–15

| क0सं0 | कार्यालय का नाम | प्रस्तुत विवरणों की संख्या | स्वतः योग्य नही पाये गये | स्वतः योग्य | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | निस्तारित | |
| | | | | | |

जोन के एडिशनल कमि0 भी उक्त स्वतः में दाखिल विवरणियों का समय–समय पर अनुश्रवण करते हुए अधिकारियों का मार्गदर्शन करेंगे तथा यह भी सुनिश्चित करेंगे कि छोटी–मोटी कमियों के लिए जिससे राजस्व में वृद्धि की कोई संभावना न हो तो उन मामलों में व्यापारियों को स्वतः से वंचित न किया जाए।

12– जिन मामलो में विशेष कार्यबल व टैक्स ऑडिट विंग द्वारा जांच की गयी है तो उनकी वार्षिक कर निर्धारण विवरण संबंधित विंग को प्रेषित कर दी जाए तथा रजिस्टर में अभ्युक्ति कॉलम में इसका इन्द्राज भी कर लिया जाए।

13– मुख्यालय पर उक्त कार्य की मॉनीटरिंग करने हेतु श्रीमती सावित्री शाह, डिप्टी कमिश्नर, मुख्यालय को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है, जो कि ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0 / प्रव0) द्वारा प्रेषित सूचनाओं का संकलन करते हुये अधोहस्ताक्षरी एवं एडीशनल कमिश्नर (विशेष वेतनमान) वाणिज्य कर, मुख्यालय को अवगत करायेंगे।

(दिलीप जावलकर)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

पृ0प0सं0 /दिनांक उक्त।

**प्रतिलिपिः– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1– सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2– सलाहकार कर, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3– एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, मुख्यालय देहरादून।
4– एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर देहरादून / हरिद्वार / रूद्रपुर / काशीपुर जोन।
5–ज्वाइन्टकमिश्नर(कार्य0 / प्रव0)वाणिज्यकर,देहरादून / ऋषिकेश / हरिद्वार / रूडकी / काशीपुर / रूद्रपुर / बाजपुर / खटीमा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों / बार एसोसियेशन के पदाधिकारियों / व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष / सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6– ज्वाइन्ट कमिश्नर(अपील) वाणिज्य कर, देहरादून / हल्द्वानी।

7– श्री अनुराग मिश्रा, डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, हरिद्वार एवं Web-Information Officer को विभागीय Website पर Update करने हेतु।
8– डिप्टी कमिश्नर(उच्च न्यायालय कार्य) वाणिज्य कर, नैनीताल।
9–अध्यक्ष इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड सर्वश्री सत्या इण्डस्ट्रीज, मोहब्बेवाला औद्योगिक क्षेत्र देहरादून।
10– प्रान्तीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल कार्यालय सर्वश्री क्वालिटी हार्डवेयर गांधी रोड देहरादून।
11– दून उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल सर्वश्री नागलिया ऑटोमोबाईल त्यागी रोड़ देहरादून।
12– प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उद्योग व्यापार मण्डल समिति, उत्तराखण्ड, सर्वश्री दीवान ट्रेडिंग कम्पनी 81– मोती बाजार देहरादून।
13– The whole sale dealers Association 14– आढ़त बाजार देहरादून।
14– प्रान्तीय इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन 222/5 गांधी ग्राम देहरादून।
15– श्रीमती सावित्री शाह, डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर, मुख्यालय।
16– कार्यालय अधीक्षक/विधि–अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।
17– समस्त अनुभाग अधिकारी मुख्यालय।

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

पत्रांक 442 आयु0क0उत्तरा0 / वाणि0कर0 / विधि–अनुभाग / 2016–17

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड।

(विधि–अनुभाग)

देहरादून :: दिनांक 28 अप्रैल ,2016

/ /विज्ञप्ति/ /

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा–25 की उपधारा(4) के अन्तर्गत :–

उक्त उपधारा–(4) के अन्तर्गत प्रावधान है कि "इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए जो ब्यौहारी उपधारा (3) के अधीन स्वतः कर निर्धारित समझे गये है, में से एक या एक से अधिक ब्यौहारी उपधारा (6) तथा उपधारा (7) के अधीन कर निर्धारण के लिये चयनित किये जा सकते हैं, ऐसे ब्यौहरियों का चयन जॉच के बाद किया जायेगा। जॉच के लिये ब्यौहारियों का चयन और उसके पश्चात् कर निर्धारण वर्ष के लिये चयन, ऐसी रीति, जैसी कि कमिश्नर द्वारा विहित की जाय, से किया जायेगा।"

अतः उक्त उपधारा (4) के अधिकारों का प्रयोग करते हुये स्वतः निर्धारित समझे गये ब्यौहारी के मामले में निम्न में से एक तथ्य अथवा एक से अधिक तथ्य पाये जाने पर उस ब्यौहारी को धारा–25(6) /धारा–25(7) के अन्तर्गत वर्ष 2013–2014 एवं 2014–15 के कर–निर्धारण हेतु चयन कर लिया जायेगाः–

1:– संगत वर्ष में सकल विक्रय धन रू0 05 करोड़ से अधिक न हो।

2:– किसी वस्तु पर निर्धारित दर की अपेक्षा निम्न दर से स्वनिर्धारण का आकलन किया गया है।

3:– धारा–24 के अन्तर्गत अनन्तिम कर–निर्धारण किया गया है।

4:– असत्यापित इनपुट टैक्स क्रेडिट के साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध हों।

5:– रियायती दर व करमुक्ति के प्रमाण /घोषणा पत्र जांच पर असत्यापित पाये गये हों।

6:– प्रान्त के बाहर से आयातित रेत, बजरी, बोल्डर्स, स्टोन ब्लास्ट, गिट्टी, स्टोन डस्ट, ईंट की बिक्री करने वाले ट्रेडर्स।

7:– विशेष कार्यबल व टैक्स रिव्यू से प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त हो।

8:– जिन मामलों में विशेष कार्यबल या टैक्स रिव्यू द्वारा कर निर्धारण किया जाना है।

9:– प्रवर्तन इकाईयों द्वारा भेजे गये प्रतिवेदन पर अर्थदण्ड आरोपित किया गया हो व प्रथम अपील स्तर पर भी पुष्टि हुई हो, जैसी भी दशा हो।

10:– इनपुट टैक्स क्रेडिट रू0 10 लाख से अधिक कैरीफोरवर्ड का दावा किया हो ।

11:– ट्रेडिंग हेतु आयातित माल की तुलना में इस वर्ष कुल 50 प्रतिशत बिकी ही प्रदर्शित की है।

12:– आयरन व स्टील खाद्य तेल, टाइल्स के व्योहारियों द्वारा इनपुट टैक्स केडिट का दावा वर्ष के दौरान 10 लाख रू0 से अधिक का किया हो।

13:– जिन निर्माता व्यौहारियों द्वारा स्टॉक ट्रांसफर की दशा में पैकिंग मैटीरियल पर धारा–6 (3) (e) के परिप्रेक्ष्य में आई0टी0सी0 का दावा किया हो।

14:– जिन निर्माता व्यौहारियों पर धारा 4(7)(ङ) के प्रावधान लागू होते हैं।

15:– जिनके द्वारा आई0टी0सी0 के कारण रू0 05 लाख से अधिक का रिफण्ड क्लेम किया गया है।

16:– जिनके द्वारा अपनी किसी भी यूनिट में व्यापार कर अधिनियम की धारा–4क सपठित वैट अधिनियम की 76/80 के अन्तर्गत करमुक्ति/कर की दर में रियायत अथवा Tax holiday का लाभ लिया गया है।

17:– ऐसी सूचना प्राप्त हो, जिसका मिलान दाखिल रूपपत्रों तथा उसके साथ दाखिल अनुलग्नकों से न होता हो व अतिरिक्त मांग निकलने की संभावना हो।

18:– फार्म सी में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर 1 प्रतिशत की दर से कर देय होगा के माल की बिकी ऐसी निर्माता औद्योगिक इकाई द्वारा की गयी हो जिनका मशीन एवं संयत्र पर कुल पूंजी निवेश रू0 20 करोड व 25 करोड के मध्य हो।

(दिलीप जावलकर)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।